

2663/2021

रिजिस्ट्रार जनरल सॉ- 2663/2021 के परिपत्र सं E(NG)/2005/RC-4/SC/2 दिनांक 28.03.2020, 31.03.2020 एवं 01.03.2021 के निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या

201/2021/9/विशेष/सौरभ/10/08/सोन दिनांक 22.04.2021 के आलेख में COVID-19 महामारी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग के नईन चिकित्सालय सोनपुर एवं उपमहलीय चिकित्सालय सोनपुर के अन्तर्गत पर अस्थायी रूप से 30 सितम्बर 2021 तक पाठ्य मेडीकल स्टॉफ को इंगोज किये जाने हेतु Online Interview (Zoom App) के माध्यम से दिनांक 27.04.2021 से 01.05.2021 तक किया गया जिससे से सम्बन्धित कुल 36 अस्थायियों के अतिरिक्त स्टैन्ड बाई में रखे अस्थायियों में से चारों पदों (Staff Nurse, Ventilator Technician, HA & Sahaival) हेतु निम्न अस्थायी चिकित्सालय सेवा में सफल घोषित किए गए अस्थायियों में से तत्काल आवश्यकतानुसार मेधाकान में निम्न अस्थायियों को उनके नाम के सामने अंकित पद, पदस्थापना स्थल एवं मानदेय पर अर्हता रख से दिनांक 30.09.2021 तक नियोजित किये जाते हैं।

इसका मासिक पारिश्रमिक (Remuneration) एवं अनुमेय अन्य देय मत्ता रेल परिषद् के परिपत्र सं 2017/Trans/01/policy/pt.1 दिनांक 12.04.2018 एवं महाप्रबंधक सं 08/MSRD/Med/Para Medical/contractual level/CH दिनांक 08.08.2018 के नियमानुसार देय होगा।

क्र.सं.	अस्थायी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	चिकित्सा श्रेणी / प्रमाण पत्र सं०	चिकित्सा पर पदनाम	पदस्थापना स्थल	मानदेय
01	Sanku Kumar	Rajesh Kumar Singh	05.10.1999	Fit in CI (25/006533) dt.22.05.21	Staff Nurse	उप महलीय चिकित्सालय गढहरा	Rs. 44900/-+ नियमानुसार देय मत्ता
02	Kashyap Ganesh	Paramanand Gandhvi	16.01.1997	Fit in CI (24/006533) dt.22.05.21	Ventilator Technician	महल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 29200/-+ नियमानुसार देय मत्ता
03	Raj Ganesh	Jagdeo Hajara	15.10.1987	Fit in CI (25/006533) dt.22.05.21	H.A	महल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 18000/-+ नियमानुसार देय मत्ता
04	Vishu Kumar	Narash Kumar Singh	02.09.1992	Fit in CI (23/006533) dt.22.05.21	H.A	महल चिकित्सालय सोनपुर	Rs. 18000/-+ नियमानुसार देय मत्ता
05	Gopal Kumar	Rohin Paswan	14.12.1993	Fit in CI (22/006533) dt.22.05.21	Sahaival	उप महलीय चिकित्सालय गढहरा	Rs. 18000/-+ नियमानुसार देय मत्ता

उपरोक्त पदस्थापना पर मुविधि/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

उपरोक्त अस्थायी नियमित शर्तों से शासित होंगे

1. अनुभव परन्तु प्रमाण करने की तिथि से दिनांक 30.09.2021 तक की अवधि के लिए या रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि जो भी पहले हो, के अनुसार मान्य होगा।
  2. अनुभव पूर्णतः अस्थाई होगा और कभी भी 15 दिन की पूर्व सूचना पर सेवा से हटाया जा सकता है। यदि अस्थायी तीन दिन से अधिक लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहें तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
  3. सर्वेक्ष/अनुभव पर कार्यरत अस्थायी को रेल आवास, अलकाश, पास आदि की सुविधा देय नहीं होगी तथा वे भविष्य में रेल सेवा में समागोजन के लिए इस आधार पर कोई दावा नहीं कर सकते। रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी सभी नियम, इन सभी संबंधित पर कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- (नोट-सभी संबंधित अस्थायी पदस्थापना हेतु सीधे तौर पर उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापना स्थल में मुविधि/सोन एवं अमुविधि/गढहरा के समक्ष 02 (दो) दिनों के भीतर दो पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ रिपोर्ट करें।)

(रवि कुमार)  
सहायक मुविधि/सोनपुर  
दिनांक-31.05.2021

सं-का/227/9/चिकित्सा/सौरभ/10/08/सोन दिनांक 22.04.2021 के आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (01) महाप्रबंधक/का0/हाजीपुर को सादर सूचनाार्थ (02) मुख्य चिकित्सा निदेशक/हाजीपुर (03) मंत्रय/सोनपुर के निजी सचिव : मरेडो महोदय के सादर सूचनाार्थ।
- (04) अन्तर्-1 एवं अन्तर्-11/सोनपुर को सूचनाार्थ (05) वमविधि/सोनपुर
- (06) मुविधि/सोनपुर :-आप से आग्रह है कि सभी संबंधित अस्थायियों को उचित पहचान यथा (फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगुठे का निशान) को अपने स्तर से ल्यायीत करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय को को भी सूचित करें।
- (07) अमुविधि/गढहरा :-आप से आग्रह है कि सभी संबंधित अस्थायियों को उचित पहचान यथा (फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगुठे का निशान) को अपने स्तर से ल्यायीत करते हुए कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय को को भी सूचित करें।
- (08) मुख्य कार्यवाही/बिल/बसैनी/सोनपुर
- (09) संबंधित कर्मचारी।
- (09) महलमन्त्री, ईसीआरकेयू अजा-अजजा एकाओबीसी एशो सोनपुर मंडल।

कृते मंत्रय कार्यालय/सोनपुर